संख्या- 17/2016/एस-3-161(2)/दस-2016-100(10)/2009

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016

विषय:-मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत डाटा सेन्टर तथा डी0आर0 सेन्टर में मैनपावर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2885/कम्प्यू0/150/मिशन मोड प्रोजक्ट-iii (2)/को0नि0/2015, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 तथा पत्र संख्या-4284/कम्प्यू0/150/मिशन मोड प्रोजक्ट-iii(2)/को0नि0/2015, दिनांक29-03-2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश एस-3-161/दस-2016-100(10)/2009 दिनांक 31-03-2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-3-2016 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि रू080,20,338.00 (रू0 अस्सी लाख बीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) को कोषागार से आहरित कर निक्सी को अग्रिम के रूप में दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

I- विभाग द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31-03-2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

II- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, कोषागार विभाग का होगा ।

III- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा ।

2- शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेगें ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-097-खजाना स्थापना-03-मुख्य-04-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

संख्या- 17/2016 /एस-3-161(3)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।